परिशिष्ट-एक,
''परीक्षा योजना''

(1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।

परीक्षा	–	300 अंक
साक्षात्कार	–	30 अंक
कुल	–	**330 अंक**

(2) **परीक्षाः–**

(i) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगाः–

प्रश्न पत्र

प्रश्नों की संख्या 150 3:00 घंटे अंक 300

भाग 1 – छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान – 50 प्रश्न (100 अंक)

भाग 2 – कृषि – 100 प्रश्न (200 अंक)

कुल – 150 प्रश्न (300 अंक)

(3) परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स और द में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स और द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।

(4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगाः –

$$MO = M \times R - {}^{1}/_{3}\, M \times W$$

जहां MO = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी।

(5) पाठ्यक्रम की जानकारी **परिशिष्ट–दो** में दी गई है।

(6) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में होगा।

(7) परीक्षा के अन्तर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 23 प्रतिशत होंगे।

(8) **साक्षात्कारः–** साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है।

(9) **साक्षात्कार** के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।

(10) **चयन सूचीः–** उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

□□□

परिशिष्ट-दो,
''पाठ्यक्रम''

भाग-1 :: छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान ::

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशायें।
3. छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज एवं त्यौहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढ़ांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं।

Part-1 :: General Knowledge of Chhattisgarh ::

1. History of Chhattisgarh and contributions of Chhattisgarh in freedom struggle.
2. Geography, water, mineral resources, climate and physical conditions.
3. Literature, music, dance, art and culture of Chhattisgarh.
4. Tribals, dialects, teej and festivals of Chhattisgarh.
5. Economy, forest and agriculture of Chhattisgarh.
6. Administrative structure of Chhattisgarh, local government and Panchayati Raj.
7. Human Resources and energy resources in Chhattisgarh.
8. Education, health and contemporary events in Chhattisgarh.

भाग-2 :: कृषि ::

फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के सिद्धांत (Principles of Crop Production & Management) :–
भारत के कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र एवं उनका फसल विकास से संबंध। फसल उत्पादन के सिद्धांत। मृदा–पादप–जल संबंध की परिकल्पना। उपज एवं पर्यावरणीय दबाव। फसल प्रणाली एवं उसका महत्व। एकीकृत कृषि प्रणाली, जैविक खेती, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी, जुताई, सूखा/वर्षा आधारित खेती की अवधारणा। मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता, आवश्यक पौध पोषक तत्व, उनकी भूमिका एवं प्रबंधन। मृदा–जल संबंध, मृदा एवं जल प्रबंधन। खरपतवार जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी, फसल खरपतवार प्रतियोगिता, एकीकृत खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत एवं विधियाँ। फसल विविधीकरणः संकल्पना, उसका महत्व एवं अनुप्रयोग, फसल अवशेष प्रबंधन।

प्रमुख फसलों का शस्य विज्ञान (Agronomy of Major Crops) :–
फसलों का वर्गीकरण, अधिक उत्पादन हेतु अनाज, दलहन, तिलहन, रेशे वाली फसलों, चीनी वाली फसलों, चारा व चारा वाली फसलें एवं अन्य नकदी फसलों की उन्नत प्रजातियों, अनुकुलन क्षमता, जलवायु, मृदा, जल एवं शस्य क्रियाएं रख–रखाव।

चारा विज्ञान एवं कृषि वानिकी (Agrostology and Crops) :–
घास भूमि एवं चारा प्रबंधन के सिद्धांत, कृषि वानिकी का महत्व, कृषि–वानिकी प्रणाली, कृषि वानिकी शास्त्र, वानिकी चारागाह, कृषि–वानिकी–चारा विज्ञान, कृषि–उद्यानिकी शास्त्र, जल–वनसंवर्धन, गली फसल एवं उर्जा वृक्षारोपण, कृषि एवं कृषि चारा प्रणाली में फसल उत्पादन तकनीक। बंजर भूमि विकास।

उद्यानिकी फसलों का उत्पादन एवं प्रबंधन (Production and Management of Horticulture Crops) :–
उद्यानिकी फसलों का वर्गीकरण, फल, सब्जी, कंद औषधीय एवं सुगंधित पौधों, फलों, मसालों के अधिक उत्पादन हेतु उनकी उन्नत प्रजातियों, अनुकुल, जलवायु, मृदा, जल एवं शस्य आवश्यकताएं, पोषक तत्व, गुणवक्ता के घटक, उत्पाद का प्रसंस्करण एवं रखरखाव। संरक्षित खेती। फल एवं सब्जियों का संरक्षण।

फसल सुरक्षा (Crop Protection) :–
सामान्य जीव विज्ञान, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीटों के आदत एवं वास। कीट आकृति विज्ञान। फसल कीटो एवं खरपतवारों का जैविक नियंत्रण। पादप विषाणुओं के कीट संवाहक। कीट नियंत्रण उपकरण एवं कीटनाशक। कीट प्रकोप एवं आक्रमण की भविष्यवाणी/पूर्वानुमान। कीट एवं बीमारी की निगरानी।
कवक विज्ञान, पौध विषाणु विज्ञान, पादप जीवाणु विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएँ। पौध रोग की जैविक एवं अजैविक कारण। अतः कर्षण, भौतिक, जैविक, रासायनिक, जैविक संशोधन एवं वानस्पितिक विधियों द्वारा पौध रोग प्रबंधन। पौध रोगों का एकीकृत प्रबंधन, पादप संपर्क रोध : अवधारणा एवं महत्व।
कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के कीट एवं रोग और उनका प्रबंधन। आर्थिक रूप से लाभदायक कीट, कवक, जीवाणु एवं विषाणु।

फसल सुधार (Crop Improvement) :–
आनुवंशिकी एवं कोशिका आनुवंशिका के सिद्धांत। स्व एवं पर–परागित फसलों की प्रजनन विधियाँ। स्व असंगति और पुरूष बांझपन एवं उनका व्यावसायिक अधिशोषण (उपयोग)। संकर ओज प्रजनन विधि। फसल सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। उपज और प्रतिरोध के संदर्भ में फसल विकास की प्रमुख उपलब्धियाँ।

कृषि यंत्रीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, फसल कटाई पश्चात् प्रबंधन एवं मूल्य संवर्धन (Agricultural Mechanization, Food Processing, Post Harvest management and Value Addition) :–
कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के लिए जुताई, बुआई, अतः कर्षक एवं कटाई हेतु यंत्र। संरक्षित कृषि हेतु यंत्र। प्रसंस्करण एवं पोस्ट हार्वेस्ट यंत्र। कृषि/उद्यानिकी फसल उत्पादन हेतु भण्डारण संरचनाएँ।

कृषि प्रसार (Agricultural Extension) :–
कृषि प्रसार के सिद्धांत। भारतीय कृषि में अग्रणी प्रसार, प्रयास एवं उनका प्रभाव। गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम। कृषि विस्तार के उपकरण। प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण के लिए भागीदारी के तरीके। बाजार निर्धारित प्रसार प्रबंधन। कृषि प्रसार मे संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग।

क्रमशः

कृषि अर्थशास्त्र (Agricultural Economics) :–

कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र एवं उत्पादन प्रक्रियाएँ। कृषि विपणन की अवधारणाएँ। कृषि उत्पादों की विशेषताएँ एवं कृषि विपणन में समस्याएँ विपणन सहकारी समितियाँ, विनियमित बाजार, प्रत्यक्ष विपणन, अनुबंध खेती एवं खुदरा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। कृषि वित्त की भूमिका एवं महत्व। कृषि ऋण–प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त पोषण, वित्त पोषण संस्थ।

मृदा, जल एवं एकीकृत पोषण प्रबंधन (Soil, Water and Integrated Nutrient Management) :–

मृदा का वर्गीकरण। भारत एवं छत्तीसगढ़ की मृदा। मृदा के भौतिक गुण, भूमि क्षमता वर्गीकरण, विभिन्न फसलों की जल मांग। सिंचाई अनुसूचिकरण एवं प्रबंधन। सिंचाई की विधियाँ। उर्वरक, जैव–उर्वरक, फसल उत्पादन हेतु कम्पोस्ट खाद। हरी खाद का उपयोग, समस्याग्रस्त मृदा का पुनर्ग्रहण। मृदा सुधारकों के नाम।

Part-2 :: AGRICULTURE ::

Principles of Crop Production & Management :

Agro-ecological zones of India & their relation to crop growth. Principles of Crop production. Concept of soil-plant-water relations, yield and environmental stress, Cropping Systems & its importance, Integrated farming system, organic farming, resource conservation technology, tillage, dry / rainfed farming. Soil fertility & productivity. Essential plant nutrients, their role & management. Soil-water relationship, soil & water management. Weed biology and ecology, crop weed competition, principles and methods of integrated weed control, Crop Diversification: Concept, its importance and applications, Crop Residue Management.

Agronomy of major crops:

Classification, improved varieties, adoptability, climate, soil, water and cultural requirements, nutrient, quality components, handling and processing of the produce for maximum production of Cereals, Pulses, Oilseeds, Fiber crops, Sugar crops, Fodder & Forage crops and important Cash crops.

Agrostology and Agro-Forestry :

Principles of grass land and pasture management. Importance of Agro-forestry. Agro-forestry systems - Agri silviculture, silvipasture, agrisilvipasture, agrihorticulture, aqua-silviculture, alley cropping and energy plantation. Crop production technology in Agro-forestry and Agrostology systems. Wasteland development.

Production and Management of Horticultural Crops :

Classification, improved varieties, adoptability, climate, soil, water and cultural requirements, nutrient, quality components, handling and processing of the produce for maximum production of Fruits, Vegetables, Tuber, Medicinal and Aromatic Plants, Flowers, Condiments and Spices. Protected cultivation. Preservation of fruits & vegetables.

Crop Protection :

General biology, habits and habitats of economically important insects. Insect morphology. Biological control of crop pests and weeds. Integrated Pest Management. Insect vectors of plant viruses. Pest control equipments & insecticides. Prediction/forecasting of pest attack. Pest and disease surveillance.

Basic concepts of Mycology, Plant Virology, Plant Bacteriology. Biotic and abiotic causes of plant diseases. Plant disease management by cultural, physical, biological, chemical, organic amendment and botanical methods. Integrated Control Measures of Plant Diseases, Plant Quarantine: Concept & Importance.

Pests & Diseases of Agronomical and Horticultural crops and their management. Economically beneficial insects, Fungi, bacteria and viruses.

Crop Improvement :

Principles of genetics and Cytogentics. Breeding methods for self and cross pollinated crops. Self incompatibility & male sterility and their commercial exploitation. Heterosis breeding. Biotechnology for crop improvement. Major achievements in crop development in reference to yield and resistance.

Agriculture Mechanization, Food Processing, Post Harvest Management and Value Addition :

Tillage, Sowing, Intercultural & Harvesting implements for Agricultural / Horticultural Crops. Implements for conservation farming. Processing and Post-harvest machinery. Storage structures for agricultural/horticultural produce.

Agricultural Extension :

Principles of Agriculture Extension. Pioneering extension efforts and their implications in Indian agriculture. Poverty alleviation and employment generation programmes. Tools of Agriculture Extension. Participatory methods for technology development and transfer. Market led extension management. Application of Communication & Information Technology in Agricultural Extension.

Agricultural Economics :

Agricultural Production Economics and Production Processes. Concepts in agricultural marketing, Characteristics of agricultural products and problems in agriculture marketing. Marketing Cooperatives, Regulated Markets, Direct Marketing, Contract Farming and Retailing Supply Chain Management. Role and importance of agricultural finance. Agricultural lending - direct and indirect financing. Financing institutes.

Soil, Water and Integrated Nutrient Management:

Classification of soils. Soils of India and Chhattisgarh. Physical properties of soil, Land Capability Classification, Water requirement of different crops. Irrigation scheduling & management. Irrigation methods. Drainage. Fertilizers, Bio-fertilizers, compost for crop production. Green manuring. Reclamation of problem soils. Soil ameliorants.

❑❑❑

परिशिष्ट-तीन,
"ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी"

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:–

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

(1). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई.डी. इत्यादि की प्रविष्टि करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूर्ण करता हो, तो उसे प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई.डी. पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई–मेल आई.डी. पर दी जाएंगी।

(2). सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लेने के पश्चात अभ्यर्थी मोबाईल व ई–मेल आई.डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि रसीद पर Payment Staus के सामने Payment Done मुद्रित हो ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उक्त रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(4). आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। निर्धारित भुगतान विकल्प (कैश डिपोजिट) चुनकर, अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में कैश या चेक के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस तक कर सकते हैं। कैश या चेक के माध्यम से शुल्क भुगतान के अगले दिन अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

(5). **ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देशः–** आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु **विज्ञापन जारी होने की तिथि** या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन्ड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल फोटो को ही स्केन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(6). **ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देशः–** ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं।

(7). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही–सही प्रविष्टि की जाए।

(8). **आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit बटन क्लिक कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।**

(9). ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद स्वतः खुलने वाले Page पर आवेदक द्वारा की गई समस्त प्रविष्टियों, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर के साथ–साथ भुगतान की स्थिति व आवेदन क्रमांक की सूचना मिलेगी। यही ऑनलाइन आवेदन की रसीद होगी। आवेदक उक्त Page पर उपलब्ध Print बटन को क्लिक कर आवेदन की रसीद का प्रिंटआउट प्राप्त कर अपने पास अवष्य रखें। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आवेदन की रसीद पर Payment Status के सामने Payment Done अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आपके ऑनलाइन आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(10). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन के दौरान मोबाईल व ई–मेल पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. तथा पासवर्ड के साथ–साथ एडिट पासवर्ड जो कि एडिट हेतु पृथक से मोबाईल व ई–मेल पर प्रदान किया जाएगा का प्रयोग करना होगा। त्रुटि सुधार शुल्क के रुप में अभ्यर्थी को रुपये 6/– (सभी कर सहित) का भुगतान करना होगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। **अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।** आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि त्रुटि सुधार पश्चात् प्राप्त आवेदन की रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आवेदक द्वारा किया गया त्रुटि सुधार मान्य नहीं होगा।

(11). **आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई**

क्रमशः

किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(12). ऑनलाईन आवेदन / त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :–

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रुपये 6/– (सभी कर सहित) देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा रुपये 6/– (सभी कर सहित) का त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। एक आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।

(iii) प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क रुपये 6/– (सभी कर सहित) के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(iv) परीक्षा शुल्क, त्रुटि सुधार शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः–

(i) आवेदक रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें।

(ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

(iv) कार्ड / नेटबैंकिंग / कैश डिपॉजिट के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिग के दौरान फिशिंग / हैकिग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

<u>प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः–</u>

(1) प्रवेश पत्र / साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा / साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र / साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा / साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र / साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षा / साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु *मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / आधार कार्ड / स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी) / स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी) / जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत) / सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य / केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी) / पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / डाकघर द्वारा जारी) / छात्र पहचान पत्र (स्कूलों / कालेजों द्वारा जारी) / बीपीएल परिवार को जारी राषन कार्ड / संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे–पट्टा, पंजीकृत डिड्स / एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) / फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश / शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित* में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र / साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष / जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा / साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

□□□□□